प्रपत्र III
फर्द अहकाम
(नियम – 28)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
नीमाराम उर्फ अवतारसिंह वगैरा बनाम श्रीमति झिमली सैनी

मुकदमा नम्बर 89 सन 2021

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2021	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से **श्री हर्ष कुमार सैनी** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीया अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीया के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीयागण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 10.03.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2481, 2482, 2483, 2484, 2489, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2513, 2514, 2515, 2819, 2820 किता 20 रकबा 7.58 अवस्थित ग्राम नीमकाथाना व ख.नं. 831, 846 किता 2 रकबा 0.89 है. अवस्थित ग्राम हीरानगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के 1/3 हिस्से तक का बेचान नही करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी। प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना [illegible] करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी [illegible] न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों [illegible] परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, [illegible] की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.03.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

10 3/2021 पत्रावली पेश हुई। उप० अभियुक्त सं. 2,3,5,6,7,9 से 17 व 19 की ओर से श्री मनीराम एडवो. ने वकालतनामा पेश किया तथा अभियुक्त सं-8 व 18 की ओर से आपन्तो वकालतनामा पेश करने हेतु मेमो पेश किया। अभियुक्त सं. 20,21,22 को समुचित तामील अनु० अतः अभियुक्त सं. 20,21,22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। वास्ते तामील अभियुक्त सं. 15 एवं प्रभाव हेतु पत्रावली दि० 19/4/2021 को पेश हो।

19/4 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/6/21 को पेश हो।

7/6 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/7/21 को पेश हो।

7/... पत्रावली पेश हुई। वकालत...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

28/1/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/3/23 को पेश हो।

13/3 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/5/23 को पेश हो।

12/5 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 7/7/23 नियत की जाती है।

07/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 19/9/23 को पेश हों।

19/9 वकूलाप उपस्थित अपराधी सं. 1 की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अपराधी सं. 1 व 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दर० कायम मुकामी दिनांक 7/11/23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
7/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 18/1/24 को पेश हो।
18/1/24	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/3/24 को पेश हो।
2-	पत्रावली प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा किये जाने का पेश होने पर तलब होकर पेश हुयी। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अमि सिमली

प्रतिभा

कम्पाल्ली

अमि श्रवणी

रीना कुमारी

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नौगांवाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner